UPM0010005212011

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,

कोर्ट संख्या–04, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी–अंचल लवानियाँ, (उच्चतर न्यायिक सेवा) UP 2411

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–37/2011

उत्तर प्रदेश राज्य .... अभियोजन पक्ष

बनाम

शमीम अख्तर पुत्र गुलाम नूर, निवासी असालतपुरा चौराहा, थाना गलशहीद, जिला मुरादाबाद।

.... अभियुक्त

मु0अ0सं0–438/2010,
धारा–135 विद्युत अधिनियम,
थाना–गलशहीद, जिला मुरादाबाद।

<u>निर्णय</u>

1. विशेष सत्र परीक्षण संख्या–37/2011 में पुलिस थाना गलशहीद, जिला मुरादाबाद द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–438/2010 में अभियुक्त शमीम अख्तर के विरूद्व आरोप पत्र अर्न्तगत धारा–135 विद्युत अधिनियम, विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसपर समक्ष न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा जोगेन्द्र सिंह, प्रभारी अवर अभियन्ता, 11/4 के.वी., सब स्टेशन, असालतपुरा, मुरादाबाद द्वारा तहरीर इस आशय की दी गयी कि विशेष चैकिंग अभियान के अन्तर्गत दिनांक 21–08–2010 को जोगेन्द्र सिंह, मौ0 इमरान, पैट्रोलमैन, सुदेश कुमार, संविदा कर्मचारी, मौ0 इदरीश संविदा कर्मचारी, तुलसीदास व होम सिंह संविदा कर्मचारी के साथ असालतपुरा चौराहा पर शमीम अख्तर पुत्र स्व. गुलाम नूर घरेलू मीटर के केबिल में मीटर से पहले कट लगाकर जोड़ लगाकर प्रोविजनल जनपद स्टोर, बेकरी व एक दुकान दीपक ट्रेडर्स स्क्रीन प्रिंटिंग व आफसेट प्रिंटिंग मैटेरियल विक्रेता की दुकान में बिजली चोरी करता पाया गया, जिसका भार चैकिंग रिपोर्ट में अंकित है। चैकिंग रिपोर्ट संख्या 29/68 दिनांक 21–08–2010 में अंकित है। मौके पर 4 एम. एम. काला केबिल लगभग 21 मीटर कब्जे में लेकर सील मोहर किया। उपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ विद्युत चोरी की धारा 135 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया जावे। आवश्यकता पड़ने पर केबिल को न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

3. उक्त आशय की तहरीर प्रदर्श क–6 के आधार पर प्राथमिकी प्रदर्श क–4 दिनांक 22–08–2010 को मुकदमा अपराध संख्या–438/2010 अन्तर्गत धारा–135 विद्युत अधिनियम अभियुक्त शमीम अख्तर के विरूद्व दर्ज की गयी, जिसका खुलासा रोजनामचा आम में किया गया।

4. विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा वादी मुकदमा अन्य गवाहान के बयान

अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता दर्ज किये गये, घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया। बाद विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्त शमीम अख्तर के विरूद्ध धारा–135 विद्युत अधिनियम के तहत आरोप–पत्र, प्रदर्श क–3, न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दिनांक 05–11–2011 को अभियुक्त शमीम अख्तर के विरूद्ध धारा 135 विद्युत अधिनियम के तहत आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया और अपना विचारण चाहा।

6. उपरोक्त मामले में अभियोजन की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने के लिए मौखिक साक्ष्य में निम्न मौखिक साक्षीगण परीक्षित कराये गये हैं–

क0 सं0	**अभियोजन साक्षी**	**साक्षी सं0**
1.	मौ0 इमरान, पेट्रोलमैन, हमराही	पी0डब्ल्यू0–1
2.	इदरीश अहमद पेट्रोलमैन, हमराही	पी0डब्ल्यू0–2
3.	यशपाल सिंह (विवेचक)	पी0डब्ल्यू0–3
4.	सचिन कुमार, तत्कालीन एस0डी0ओ0	पी0डब्ल्यू0–4

7. अभियोजन की ओर से निम्नलिखित प्रपत्रों को न्यायालय में साबित कराये गये हैं–

क0सं0	अभियोजन प्रपत्र	प्रदर्श सं0	**साबित करने वाले साक्षी का नाम**
1.	चैकिंग रिपोर्ट	क–1	मौ0 इमरान, पेट्रोलमैन, हमराही
2.	नक्शा नजरी	क–2	यशपाल सिंह, विवेचक
3.	आरोप पत्र	क–3	यशपाल सिंह, विवेचक
4.	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	क–4	यशपाल सिंह, विवेचक
5.	जी0डी0 कायमी मुकदमा	क–5	यशपाल सिंह, विवेचक
6.	तहरीर	क–6	यशपाल सिंह, विवेचक
7.	छाया प्रति राजस्व निर्धारण नोटिस	क–7	सचिन कुमार, अधिशासी अभियन्ता
8.	आख्या माल मुकदमा	क–8	सचिन कुमार, अधिशासी अभियन्ता

तत्पश्चात अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त किया गया।

8. अभियोजन का साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को झूठ होना बताया तथा गवाहान द्वारा गलत गवाही देने व रंजिशन झूठा मुकदमा चलने का कथन किया है, गलत आरोप पत्र प्रेषित किया जाना कहा। अभियुक्त द्वारा कथन किया गया कि कोई चैकिंग नहीं हुयी। मुकदमा झूठे व गलत तथ्यों के आधार पर चलाया जाना कहा और अभियुक्त ने प्रतिरीक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करने से इन्कार करते हुए यह भी कथन किया है कि वह निर्दोष है। उसके द्वारा कोई विद्युत चोरी नहीं की गयी। उसको झूठा रंजिश की बिनाह पर फंसाया गया है।

9. विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता

की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

10. अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह स्थापित है कि अभियुक्त द्वारा वैध संयोजन के केबिल में कट लगाकर अन्य केबिल में जोड़कर अवैध रूप से विद्युत की चोरी कर प्रोविजनल जनपद स्टोर, बेकरी व एक दुकान दीपक ट्रेडर्स स्क्रीन प्रिंटिंग व आफसेट प्रिंटिंग मैटेरियल विक्रेता की दुकान में बिजली चोरी करते पाया गया। अभियोजन का तर्क है कि अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये समस्त आरोप साबित हैं।

11. उक्त के विपरीत बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध कतई कोई आरोप साबित नहीं होता है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा किसी प्रकार से कोई विद्युत चोरी नहीं की जा रही थी। विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई आरोप स्थापित नहीं माना जा सकता।

12. प्रस्तुत मामले में अब यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

13. पी0डब्ल्यू0–1 के रूप में परीक्षित साक्षी मौ0 इमरान, पेट्रोलमैन ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि दिनांक 21–08–2010 को वह अवर अभियन्ता जोगेन्द्र सिंह के साथ सब स्टेशन असासलतपुरा व संविदा कर्मी होमसिंह, तुलसीदास व मौ0 इदरीस व सुरेश कुमार के साथ शाम 16.30 बजे असालतपुरा चौराहे पर शमीम अख्तर पुत्र गुलाम नूर के जनरल स्टोर व उसकी बेकरी पर छापा मार दिया पाया कि मैन केबिल से पहले कट लगाकर बिजली चोरी कर रहा था, जिसका पूर्ण विवरण विद्युत चोरी रिपोर्ट में लिखाया था। जिसमें पाया गया कि घरेलू मीटर से पहले केबिल 4एम0एम0 का तार काटकर उसमें 6 एम0एम0 केबिल जोडकर तीन दुकानों में 0.980 वाट विद्युत चोरी से चलता पाया गया। समन राशि जमा करने के लिए कहा तो उसने समन राशि जमा करने से मना कर दिया और मौके से चला गया। लगभग 21 मीटर 4 एम0एम0 का तार मौके पर सील कर सर्वे मोहर किया। केबिल बिजली दफतर पर दाखिल किया व तहरीर अवर अभियन्ता जोगेन्द्र सिंह ने लिखायी थी। चैकिंग रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर हैं, जो पत्रावली पर मौजूद है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। एफ0आई0आर0 लिखाने वह थाने नहीं गया था। दरोगा जी ने उसके बयान लिये थे।

14. पी0डब्ल्यू0–2 के रूप में परीक्षित साक्षी इदरीश अहमद पेट्रोलमैन ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि दिनांक 21–08–2010 को वह लाईनमैन के पद पर तैनात था। उस दिन अवर अभियन्ता योगेन्द्र सिंह, व मौ0 इमरान पेट्रोलमैन होम सिंह, सुरेश कुमार, तुलसी दास के साथ असालतपुरा चौराहे पर बिजली चैकिग करने गये थे। वहां पर शमीम अख्तर के प्रोविजनल स्टोर ब्रेकरी व एक दुकान स्क्रीन प्रिटिंग पर छापा मारा था तो पाया कि मैन केबिल में मीटर से पहले कट लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। जिसमें 21 मीटर केबिल काटकर सील सर्वे मोहर किया था, जो कुल विद्युत भार 980 वाट चोरी करते पाया था। केबिल बिजली दफतर में दाखिल किया था। चैकिंग रिपोर्ट अवर अभियन्ता जोगेन्द्र सिंह द्वारा तैयार की गयी थी। जिस पर उसके भी हस्ताक्षर है, जिसकी तहरीर जे0ई0 साहब द्वारा थाना गलशहीद पर दी गयी थी।

15. पी0डब्ल्यू0–3 के रूप में परीक्षित साक्षी यशपाल सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि दिनांक 22–08–2010 को वह थाना गलशहीद पर बतौर एस0आई0 के पद पर तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा प्रभारी अवर अभियन्ता जोगिन्दर सिंह की लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना दिनांक 22–08–2010 की रात्रि को प्राप्त हुई थी। विवेचना दिनांक 23–08–2010 से प्रारम्भ की गयी। विवेचना मिलने के बाद उस दिन सी0डी0–1 किता की गयी, जिसमें नकल चिक, नकल रपट, नकल चैकिंग रिपोर्ट, बयान एफ0आई0आर0 लेखक, किता किये गये। सी0डी0–2, दिनांक 25–08–2010 को किता की गयी, जिसमें बयान वादी अवर अभियन्ता जोगिन्दर सिंह, बयान गवाह मौ0 इमरान, स्वदेश कुमार, मौ0 इदरीस, तुलसीदास, अंकित किये गये तथा वादी मुकदमा की निशानदेही पर निरीक्षण घटना स्थल किया गया। मौके पर जाकर उसके द्वारा नक्शा नजरी तैयार किया गया, जो पत्रावली पर उसके लेख व हस्ताक्षर में है। इसपर प्रदर्श क–2 डाला गया। सी0डी0–3 दिनांक 01–09–2010 को किता की गयी, जिसमें अभियुक्त के घर दविश दी गयी, दस्तयाब नहीं हुआ। सी0डी0–4 दिनांक 12–09–2010 को किता की गयी। अभियुक्त के यहां दविश दी गयी, दस्तयाब नहीं हुआ। सी0डी0–5 दिनांक 25–09–2010 को किता की गयी, जिसमें अभियुक्त के घर दविश दी गयी, दस्तयाब नहीं हुआ। सी0डी0–6 दिनांक 01–10–2010 को किता की गयी, जिसमें शमीम अख्तर ने दिनांक 28–09–2010 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, नकल रोवकार अभियुक्त अंकित कर अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र संख्या–270/2010 प्रेषित किया गया। आरोप पत्र पत्रावली पर 3क/1 के रूप में संलग्न है। इसपर प्रदर्श क–3 डाला गया। उपरोक्त मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट कां0 सुधीर सिंह द्वारा वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर शब्द व शब्द अंकित की गयी थी, जो उनके लेख व हस्ताक्षर में हैं, कां0 सुधीर सिंह उसके साथ थाने पर तैनात रहे हैं। उसने उन्हें लिखते पढ़ते देखा है, वह उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पर प्रदर्श क–4 डाला गया, जिसका खुलासा उनके द्वारा जी0डी0 सं0–31 समय 20.15 बजे किया गया। जी0डी0 की कार्बन कॉपी पत्रावली पर कागज संख्या–5क/4 के रूप में संलग्न है, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। वादी मुकदमा जोगिन्दर सिंह द्वारा घटना के सम्बन्ध में जो तहरीर दी गयी थी, वह पत्रावली पर संलग्न है, जिसका उसने विवेचना के दौरान अवलोकन किया था। वह तहरीर पत्रावली पर 4क/2 के रूप में संलग्न है, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया।

16. पी0 डब्ल्यू0–4 के रूप में परीक्षित साक्षी सचिन कुमार, अधिशासी अभियन्ता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि दिनांक 21–08–2010 को वह एस0डी0ओ के पद पर तैनात था। उस दिन अवर अभियन्ता जोगेन्द्र सिंह, लाईनमैन इदरीस, इमरान, होमसिंह, सुरेश कुमार, तुलसीदास के साथ वह चैकिंग टीम में शामिल होकर असालतपुरा चौराहे पर बिजली चैकिंग करने गये थे। जहां पर शमीम अख्तर पुत्र गुलामनूर के घरेलू मीटर के केबिल में मीटर से पहले कट लगाकर उसमें जोड़ लगाकर प्रोवजिनल जनरल स्टोर, बेकरी व एक दुकान स्क्रीन प्रिन्टिंग की दुकानों में चोरी करता पाया गया, जिसका भार चैकिंग रिपोर्ट में वादी मुकदमा द्वारा अंकित किया गया है। मौके पर 4 एम0एम0 काला केबिल लगभग 21 मीटर कब्जे में लेकर सील मोहर किया गया था। उक्त केबिल को वादी मुकदमा ने अपने कब्जे में लिया था। मौके पर चैकिंग रिपोर्ट वादी मुकदमा द्वारा बनायी गयी और शमीम अख्तर से शमन

राशि जमा करने के लिए कहा गया तो उसने मना कर दिया और मौके से चला गया। चैकिंग रिपोर्ट पर चैकिंग स्टाफ के हस्ताक्षर कराये गये थे व वादी मुकदमा द्वारा तहरीर लिखकर थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराने हेतु दी गयी थी। उक्त चैकिग रिपोर्ट व तहरीर पर उसके भी हस्ताक्षर हैं। उक्त चैकिंग से सम्बन्धित असेसमेन्ट विभाग द्वारा बनाया गया था, जिसकी प्रमाणित प्रति लेकर उपस्थित हुआ है। इसपर प्रदर्श क–7 डाला गया। सम्बन्धित माल मुकदमा आख्या भी उक्त विभाग द्वारा दी गयी है, जो न्यायालय में दाखिल कर रहा है। इसपर प्रदर्श क–8 डाला गया। उपरोक्त मुकदमे के वादी मुकदमा वर्तमान समय में काफी बीमार हैं, जो चलने फिरने की स्थिति में नहीं है। जिससे सम्बन्धित प्रपत्र पुलिस द्वारा पत्रावली पर दाखिल किये गये हैं।

17. विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की विस्तार से बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

18. उपरोक्त के सन्दर्भ में सर्व प्रथम अभियोजन द्वारा पंजीकृत करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट का विश्लेषण किया जाना समीचीन होगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा जोगेन्द्र सिंह, प्रभारी, अवर अभियन्ता, द्वारा पंजीकृत करायी गयी है, जिसके अनुसार दिनांक 21–08–2010 को जोगेन्द्र सिंह, मौ0 इमरान, पैट्रोलमैन, सुदेश कुमार, संविदा कर्मचारी, मौ0 इदरीश संविदा कर्मचारी, तुलसीदास व होम सिंह संविदा कर्मचारी के साथ असालतपुरा चौराहा पर शमीम अख्तर पुत्र स्व. गुलाम नूर घरेलू मीटर के केबिल में मीटर से पहले कट लगाकर जोड़ लगाकर प्रोविजनल जनपद स्टोर, बेकरी व एक दुकान दीपक ट्रेडर्स स्क्रीन प्रिंटिंग व आफसेट प्रिंटिंग मैटेरियल विक्रेता की दुकान में बिजली चोरी करता पाया गया, जिसका भार चैकिंग रिपोर्ट में अंकित है। चैकिंग रिपोर्ट संख्या 29/68 दिनांक 21–08–2010 में अंकित है। मौके पर 4 एम. एम. काला केबिल लगभग 21 मीटर कब्जे में लेकर सील मोहर किया। उपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ विद्युत चोरी की धारा 135 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया जावे। आवश्यकता पड़ने पर केबिल को न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

19. इस सम्बन्ध में हमराह, साक्षी पी0 डब्ल्यू0–2 इदरीश अहमद द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि उसके संज्ञान में नहीं है कि कथित बिजली चोरी की सूचना किसी मुखबिर द्वारा दी गयी या नहीं। वह ऐसा कोई प्रपत्र लेकर नहीं आया है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि दिनांक 21–08–2010 को वह लाइनमैन के पद पर तैनात था। दिनांक 21–08–2010 को कार्यालय में रवानगी किसी रजिस्टर के करके चले थे या नहीं, इस समय ध्यान नहीं। यह कहना सही है कि रवानगी से सम्बन्धित कोई प्रपत्र पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। चैकिंग हेतु आमद जे0ई0 साहब ने दर्ज करायी थी। किस रपट नम्बर, जी0डी0 नम्बर से कराई थी, वह नहीं बता सकता। जे0ई0 साहब बता सकते हैं। यह कहना सही है कि थाने पर आदम से सम्बन्धित कोई प्रपत्र पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। पुलिस कर्मी दौरान चैकिंग उनके पास नहीं थे। शमीम अख्तर ने यदि कोई प्रार्थना पत्र बिजली विभाग में दिया हो, तो उसे उसकी कोई जानकारी नहीं है। वह जे0ई0 साहब के हस्ताक्षर पहचानता है। दिनांक 24–12–2009 के प्रार्थना पत्र पर जो रिसिंव है, वह किस अधिकारी का है, वह नहीं बता सकता। वह केवल शमीम अख्तर के प्रतिष्ठान पर ही चैकिंग करने गये थे। यह कहना सही है कि माल मुकदमा उसके सामने नहीं है। चैकिंग की कार्यवाही पूर्ण करने के बाद वह अपने

कार्यालय वापस चले गये थे। फिर वह थाने नहीं गया। इस मुकदमे के मुतालिक्क दरोगा जी उससे कभी नहीं मिले। मुकदमा कायम होने के बाद वह अदालत में बयान देने आया है। चैकिंग रिपोर्ट जे0 ई0 साहब द्वारा कार्यालय में आकर तैयार की गयी थी। मुकदमा कायाम कराने वह थाने नहीं गया था।

20. इस प्रकार पी0 डब्ल्यू0–2 इदरीश अहमद के साक्ष्य के अवलोकन से विदित होता है कि वह ऐसा कोई प्रपत्र लेकर नहीं आया है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि दिनांक 21–08–2010 को वह लाइनमैन के पद पर तैनात था। दिनांक 21–08–2010 को कार्यालय में रवानगी किसी रजिस्टर के करके चले थे या नहीं, इस समय ध्यान नहीं। चैकिंग हेतु आमद जे0ई0 साहब ने दर्ज करायी थी। किस रपट नम्बर, जी0डी0 नम्बर से कराई थी, वह नहीं बता सकता। जे0ई0 साहब बता सकते हैं। पुलिस कर्मी दौरान चैकिंग उनके पास नहीं थे। दिनांक 24–12–2009 के प्रार्थना पत्र पर जो रिसिंव है, वह किस अधिकारी का है, वह नहीं बता सकता। वह केवल शमीम अख्तर के प्रतिष्ठान पर ही चैकिंग करने गये थे। माल मुकदमा उसके सामने नहीं है।

21. प्रस्तुत मामले में जहां तक अभियुक्त द्वारा मीटर से पहले केबिल में कट लगाकर तथा अन्य केबिल में जोड़कर अवैध रूप से विद्युत की चोरी कर प्रोविजनल जनरल स्टोर, बेकरी, व एक दुकान दीपक ट्रेडर्स स्क्रीन प्रिंटिग व ऑफसेट प्रिंटिंग मैटेरियल की दुकान में बिजली चोरी करते हुये पाये जाने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में पी0डब्ल्यू0 2 इदरीश अहमद, हमराह द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि उसके संज्ञान में नहीं है कि कथित बिजली चोरी की सूचना किसी मुखबिर द्वारा दी गयी थी या नहीं।

22. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से नक्शा नजरी दाखिल किया गया हैं, जो पत्रावली पर प्रदर्श क–2 है। उक्त नक्शा नजरी में दो मकान प्रथम तल व द्वितीय तल दर्शित किये गये हैं, जिसमें नम्बर एक नक्शा में अभियुक्त शमीम अख्तर का मकान का नीचे का हिस्सा तथा नम्बर दो नक्शा द्वितीय तल का है। दोनों जगह ही बिजली चोरी करना दर्शित किया गया है, किन्तु नक्शा प्रथम तल में " हबीब हाउस, बेकरी, प्रोविजनल स्टोर, दुकान राकेश व मकान आबिद पुत्र हसीन " का होना दर्शित किया गया है, जबकि नक्शा द्वितीय तल में " हबीब हाउस, दीपक ट्रेडर्स एवं आबिद " हा होना दर्शित किया गया है। उपरोक्त दोनों नक्शों में शमीम अख्तर की दुकान कौन– सी है, इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और जिन लोगों के उपरोक्त संस्थान होना अंकित किये गये हैं, उनमें से किसी को भी अभियुक्त नहीं बनाया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसा भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उपरान्त वर्णित सभी संस्थान अभियुक्त शमीम अख्तर के ही हों। इस प्रकार उपरोक्त तथ्य अभियोजन कथानक को पूर्ण रूप से सन्देहास्पद बना देते हैं।

23. पी0 डब्ल्यू0–3 सेवा निवृत्त उप निरीक्षक यशपाल द्वारा प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि वह अपने साथ ऐसा कोई प्रपत्र नहीं लाया है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि दिनांक 22–08–2010 को वह थाना गलशहीद पर बतौर उप निरीक्षक तैनात था। वादी मुकदमा की तहरीर पर मुकदमा उसके द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया था। उसे इस समय ध्यान नहीं है कि विवेचना का आदेश मौखिक मिला था या लिखित में मिला था। दिनांक 23–08–2010, 25–08–2010, 01–09–2010, 12–09–2010 एवं 01–10–2010 को रवानगी किस जी0डी0 नम्बर से की थी, उसे इस समय ध्यान नहीं है। कां0 सुन्दर सिंह ने उसके साथ

काम किया है, वह ऐसा कोई साक्ष्य अपने साथ नहीं लाया है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि कां0 ने उसके साथ काम किया हो। यह कहना गलत है कि उसने समस्त कार्यवाही थाने में बैठकर पूर्ण की हो, इसलिये जी0डी0 दिखाने में कासिर रहा है। यह कहना भी गलत है कि उसने आला अधिकारियों के कहने पर अभियुक्त के खिलाफ झूठा आरोप पत्र प्रेषित किया हो।

24. इस प्रकार पी0डब्ल्यू0–3 उप निरीक्षक यशपाल सिंह के साक्ष्य से स्पष्ट है कि वह ऐसा कोई प्रपत्र नहीं लाया है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि दिनांक 22–01–2010 को वह थाना गलशहीद पर बतौर उप निरीक्षक तैनात था। उक्त साक्षी को यह भी ध्यान नहीं है कि दिनांक 23–08–2010, 25–08–2010, 01–09–2010, 12–09–2010 एवं 01–10–2010 को रवानगी किस जी0डी0 नम्बर से की थी।

चैकिंग रिपोर्ट पत्रावली पर प्रदर्श क–1 है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि उक्त चैकिंग रिपोर्ट में अभियुक्त शमीम अख्तर पुत्र गुलाम नूर को मौके से चले जाने का उल्लेख किया गया है। चैकिंग रिपोर्ट प्रदर्श क–1 में यह अंकित किया गया है कि उपरोक्त उपभोक्ता घरेलू संयोजन के मीटर से पहले केबिल 4 एम एम रंग काला में 6 एम एम केबिल रंग काला जोड़कर तीनों दुकानों में 0.980 वाट विद्युत चोरी से चलाता पाया गया, किन्तु नक्शा नजरी प्रदर्श क–2 में प्रथम तल पर हबीब हाउस, बेकरी, प्रोजिनल स्टोर, दुकान राकेश, मकान आबिद पुत्र हसीन, हाजी मुख्तार हाउस एवं अन्य तथा द्वितीय तल में हबीब हाउस, प्रेस दीपक ट्रेडर्स, मीटर आबिद का दर्शित किया गया है, परन्तु अभियुक्त शमीम अख्तर का कोई मकान अथवा दुकान का होना दर्शित नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अभियुक्त शमीम अख्तर द्वारा किस मकान अथवा दुकान में अवैध रूप से विद्युत का उपयोग किया जा रहा था। उपरोक्त ऐसे तथ्य हैं, जो अभियोजन कथानक को सन्देहास्पद बना देते हैं।

25. अभियोजन की ओर से पी0डब्ल्यू0–4 के रूप में सचिन कुमार अधिशासी अभियन्ता को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि यह कहना सही है कि इस समय उसके पास ऐसा कोई प्रपत्र नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि दिनांक 21–08–2010 को वह सीतापुरी विद्युत विभाग में कार्यरत था। आवश्यकता होने पर उपलब्ध करा दिया जावेगा। मुखबिर की सूचना उसे नहीं मिली थी। जे0ई0 साहब को मिली थी। उसके या जे0 ई0 साहब के द्वारा मुखबिर की सूचना का कोई अलग से मीमो तैयार नहीं किया गया था। दिनांक 21–08–2010 को अपने कार्यालय से विद्युत चैकिंग की रवानगी हेतु कोई कार्यवाही अपने कार्यालय में नहीं की थी। उसने अपनी आमद थाना गलशहीद पर भी दर्ज नहीं करायी थी। अपने कार्यालय में रवानगी से लेकर 25 मिनट व जुमला कार्यवाही में एक घंटा लगा था। माल सील करने में 15–20 मिनट लगे होगे। वह घटना स्थल से थाने नहीं गया था। उसे ध्यान नहीं है कि इस मुकदमे के विवेचक उससे मिलने आये थे या नहीं। वह भी विवेचक से मिलने थाने नहीं गया था। इस मुकदमे के विवेचक उससे मिले थे या नहीं, इस समय ध्यान नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श क–7 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना गलत है कि वह जिस दिन, समय व प्रकार की कथित घटना का होना बताता है, उस दिन ऐसी कोई घटना न घटी हो। यह कहना भी गलत है कि अभियुक्त पर माल अपने पास से प्लाण्ट किया हो। यह कहना गलत है कि शमीम अख्तर के घर कोई विद्युत चोरी न हुयी हो।

26. अभियोजन की ओर से वादी मुकदमा अवर अभियन्ता जोगेन्द्र सिंह को परीक्षित

नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 मौ0 इमरान पैट्रोलमैन से अभियुक्त की ओर से प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी। साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 मौ0 इमरान पैट्रोलमैन द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक 21–08–2010 को वह अवर अभियन्ता जोगेन्द्र सिंह के साथ सब स्टेशन असासलतपुरा व संविदा कर्मी होमसिंह, तुलसीदास व मौ0 इदरीस व सुरेश कुमार के साथ शाम 16.30 बजे असालतपुरा चौराहे पर शमीम अख्तर पुत्र गुलाम नूर के जनरल स्टोर व उसकी बेकरी पर छापा मार दिया पाया कि मैन केबिल से पहले कट लगाकर बिजली चोरी कर रहा था, जिसका पूर्ण विवरण विद्युत चोरी रिपोर्ट में लिखाया था। जिसमें पाया गया कि घरेलू मीटर से पहले केबिल 4 एम0एम0 का तार काटकर उसमें 6 एम0 एम0 केबिल जोडकर तीन दुकानों में 0.980 वाट विद्युत चोरी से चलता पाया गया। समन राशि जमा करने के लिए कहा तो उसने समन राशि जमा करने से मना कर दिया और मौके से चला गया। लगभग 21 मीटर 4 एम0एम0 का तार मौके पर सील कर सर्वे मोहर किया। केबिल बिजली दफतर पर दाखिल किया व तहरीर अवर अभियन्ता जोगेन्द्र सिंह ने लिखायी थी। अभियोजन की ओर से माल मुकदमा को समक्ष न्यायालय प्रस्तुत नहीं किया गया और माल प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से पत्रांक 4760 वि0न0वि0ख0 (प्र0)/मुरा0 दिनांक 09–09–2025 प्रदर्श क–8 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त वाद में चैकिंग संख्या 29/68 दिनांक 21–08–2010 के अनुसार माल एवं राजस्व निर्धारण की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया है, जिसके सन्दर्भ में राजस्व निर्धारण की प्रमाणित प्रति प्रेषित की गयी है तथा माल को मुकदमा वादी द्वारा सुरक्षित रखा गया था, परन्तु वर्तमान में वादी के मरणासन्न स्थिति में होने के कारण माल सम्बन्धी जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी। माल को भण्डार गृह में काफी तलाशने के उपरान्त भी माल की प्राप्ति नहीं की जा सकी।

27. धारा 135 विद्युत अधिनियम 2003 यह प्रावधान करती है कि–

135. बिजली की चोरी– (i) जो कोई बेईमानीपूर्वक–

(क) शिरोपरि, भूमि के नीचे या जल के नीचे की लाइन या के बीच या सेवा तार या लाइसेंसधारी अथवा प्रदाता, जैसा विषय हो, की सुविधा सेवाओं को छेड़ता है कोई संयोजन करता है या कराता है, या

(ख) मीटर को दूषित करता है या दूषित मीटर को संस्थापित करता है या प्रयोग करता है, विद्युत धारा परिवर्तित करने वाले ट्रान्सफार्मर, मिथ्या संयोजन या किसी अन्य युक्ति या ढंग का प्रयोग करता है, जो विद्युत धारा के उचित या सही पंजीकरण, अन्शांकन या मीटर पद्धति में हस्तक्षेप करता है या अन्यथा इस ढंग में परिणाम होता है, जिसके द्वारा विद्युत की चोरी की जाती है या व्यर्थ की जाती है, या

(ग) विद्युत मीटर, औजार, उपकरण या तार को क्षतिगस्त या विनष्ट करता है या इनमें से किसी का इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विनष्ट करता है या किये जाने की अनुज्ञा देता है, जिससे विद्युत के समुचित या सही मीटर पद्धति में हस्तक्षेप किया जाये, या

(घ) दूषित मीटर के माध्यम से विद्युत का प्रयोग करता है, या

(ड़) विद्युत का प्रयोग उस प्रयोजन, जिसके लिये विद्युत का प्रयोग प्राधिकृत किया गया था, के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिये करता है, जिससे विद्युत का निष्कर्ष या उपभोग या प्रयोग किया जाये, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष का हो सकेगा या

जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगाः

परन्तु ऐसे मामले में, जहॉ, निष्कर्षित उपभुक्त या प्रयुक्त विद्युत भार या प्रयासित निष्कर्ष या प्रयासित उपभोग या प्रयासित प्रयोग–

(i) 10 किलोवाट से अधिक नहीं है, प्रथम दोषसिद्धि पर अधिरोपित जुर्माना विद्युत की ऐसी चोरी के कारण वित्तीय लाभ के लिये तीन गुने से कम नहीं होगा और दूसरे या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की स्थिति में, अधिरोपित जुर्माना विद्युत की ऐसी चोरी के कारण वित्तीय लाभ को छः गुने से कम नहीं होगा,

(ii) 10 किलोवाट से अधिक है, प्रथम दोषसिद्धि पर अधिरोपित जुर्माना विद्युत की ऐसी चोरी के कारण वित्तीय लाभ के तीन गुने से कम नहीं होगा और दूसरे या पश्चावर्ती दोषसिद्धि की स्थिति में दण्ड छः मास से अन्यून अवधि के लिये कारावास होगा, किन्तु जिसका विस्तार पॉच वर्ष तक किया जा सकेगा और विद्युत की ऐसी चोरी के कारण वित्तीय लाभ से छः गुने से अन्यून जुर्माना का दण्ड होगा।

उपरोक्त प्रावधान विद्युत चोरी की घटना पर लागू होते हैं, विद्युत के अन्य देयों के सन्दर्भ में लागू नहीं होते हैं।

28. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचा है कि–

1. अभियोजन पक्ष द्वारा वादी मुकदमा जोगेन्द्र सिंह, प्रभारी अवर अभियन्ता को परीक्षित न कराया जाना।

2. नक्शा नजरी प्रदर्श क–2 में अभियुक्त शमीम अख्तर के मकान अथवा दुकान को प्रदर्शित न किया जाना।

3. माल मुकदमा समक्ष न्यायालय पेश न किया जाना, न ही कोई रजिस्टर अनुरक्षित किया जाना।

4. जनता के किसी जनसाक्षी को परीक्षित न कराया जाना, जबकि मौके पर अन्य दुकानें व मकानों का स्थित होना बताया जाना।

5. अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये किसी भी साक्षी द्वारा अभियुक्त को चोरी करते हुये न देखा जाना और न ही कोई मशीन चलते हुये पाया जाना।

6. अभियोजन की ओर से ऐसे किसी भी चक्षुदर्शी को परीक्षित नहीं कराया गया है, जिन्होंने अभियुक्त को उपरोक्त घटना को कारित करते हुये देखा हो। इस प्रकार अभियुक्त को उक्त घटना कारित करते हुये किसी चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा न देखा जाना, आदि ऐसे तथ्य हैं, जो अभियोजन कथानक को पूर्ण रूप से सन्देहास्पद बना देते हैं, जिसका लाभ अभियुक्त को प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

29. दाण्डिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण पी0 डब्ल्यू0–2 इदरीश अहमद, पैट्रोलमैन, पी0डब्ल्यू0–3, यशपाल सिंह सेवा निवृत्त उपनिरीक्षक एवं पी0 डब्ल्यू0–4 सचिन कुमार अधिशासी अभियन्ता द्वारा अभियोजन कथानक के सम्बन्ध में परस्पर विरोधाभासी कथन किये गये हैं, जिनके साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है। ऐसे में अभियोजन कथानक अनुसार घटना कारित किया जाना साबित नहीं माना जा

सकता है। अतः अभियुक्त शमीम अख्तर को संदेह का लाभ दिया जाना न्यायोचित होगा।

30. इस प्रकार अभियोजन पक्ष प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त शमीम अख्तर के विरूद्व लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–135 विद्युत अधिनियम युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। तदनुसार अभियुक्त शमीम अख्तर दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–37/2011 में अभियुक्त शमीम अख्तर को आरोप अन्तर्गत धारा– 135 विद्युत अधिनियम से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त शमीम अख्तर जमानत पर है, उसके जमानतनामें निरस्त कर प्रतिभूगण को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा धारा–437ए दण्ड प्रकिया संहिता के प्रतिभूति अग्रिम छः माह तक प्रवृत्त रहेगें।

दिनांक 31–03–2026

(अंचल लवानियाँ)
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–04, मुरादाबाद।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 31–03–2026

(अंचल लवानियाँ)
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–04, मुरादाबाद।

Digitally signed by Anchal
Date: 2026.03.31 16:16:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court